

सी.ए.ए. कानून के अंतर्गत पहली बार 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी

सी.ए.ए. एक्ट चार साल पहले, दिसम्बर 2019 में लोकसभा में पारित हुआ था तथा दो दिन बाद राज्यसभा ने भी इस एक्ट पर अपनी मोहर लगा दी थी

-सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 मई। एक ऐसा कदम जिसे खासतौर से पश्चिम बंगाल में चल रहे आम चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सी.ए.ए.) के नियमों को अधिसूचित करने के दो माह बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस कानून के तहत 14 लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र का प्रथम सेट जारी किया। इसका चुनावों पर असर पड़ सकता है।

केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आवेदकों को यह नागरिकता प्रमाण पत्र अत्यधिक प्रचारित समारोह में वितरित किए, इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से मीडिया ने कवर किया। केन्द्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेन्डमेंट एक्ट (सी.ए.ए.) के नियमों को इस वर्ष 10 मार्च को अधिसूचित कर

- पर, कानून बनने के बाद भी इस एक्ट के तहत नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकी, क्योंकि चार साल लगे इस कानून के तहत रूल्स नोटिफाइ होने में।
- सी.ए.ए. कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बंगलादेश से भारत में आये, हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। पर, सी.ए.ए. कानून का विरोध हुआ कई हल्कों में, क्योंकि शरणार्थियों की सूची में मुसलमानों का नाम नहीं है।
- अब 15 मई को 15 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र देकर, गृह मंत्रालय ने इस कानून के बारे में अपना सोच पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। पर, अभी भी पूर्ण संभावना है कि, कुछ लोग, इस बात पर आपत्ति जताते हुए कि, चुनाव के बीच में नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करके, गृह मंत्रालय ने चुनाव के लिये जारी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत लेकर जायेंगे।

दिया था, ताकि चार साल पहले पारित विवादित कानून के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। यह बहुचर्चित कानून संसद ने दिसम्बर 2019 में पारित किया था।

“निर्देशक (सैन्सस ऑपरेशन) नई

दिल्ली की अध्यक्षता में एक “उच्चाधिकार प्राप्त समिति” का गठन किया गया था, जिसने आवेदन पत्रों की निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप संवीक्षा करने के बाद 14 लोगों को नागरिकता मंजूर करने का निर्णय लिया।” गृह मंत्रालय के

प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि “तदनुसार उसके बाद निर्देशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र मंजूर किए हैं।” प्रवक्ता ने कहा कि “नागरिकता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यूज क्लिक संस्थापक प्रवीर पुरकायस्थ जमानत पर रिहा

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 मई। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को न्यूज क्लिक के संस्थापक पत्रकार प्रवीर पुरकायस्थ को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया तथा कोर्ट ने आर्तक-विरोधी कानून के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। न्यायाधीश बी.आर. गवई व संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई में कहा कि इस

- सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ को जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा एंटी टैरर लॉ के तहत उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। गौरतलब है कि, पुरकायस्थ 7 महीने से जेल में हैं।

केस के सम्बन्ध रिमांड की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई थी इसके फलस्वरूप उनकी गिरफ्तारी शून्य हो जाती है।

न्यायाधीश मेहता ने अपने निर्णय में कहा कि कोर्ट को इस मामले में कोई संदेह नहीं कि गिरफ्तारी के कोई आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे जो गिरफ्तारी को प्रभावित करते हैं। पंकज बंसल के केस के बाद अपीलार्थी गिरफ्तारी से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होने से ममता बनर्जी की स्थिति अटपटी हुई

बंगलादेश से भारत आये 50 लाख मतुआ समुदाय के लोगों के लिये भारत की नागरिकता प्रदान करने की मांग देश के विभाजन के समय से चल रही है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 मई। केन्द्रीय गृह मंत्री ने, बंगाल के कुछ सीमा क्षेत्रों में, जहाँ बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, पाकिस्तान व बांग्लादेश से आए चौदह प्रवासियों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए हैं। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से भारत आए तथा अधिकाधिक नागरिकता दस्तावेज नहीं होने के कारण इन्होंने तरह-तरह की समस्याओं का सामना किया। वर्षों से इनके लिए नागरिकता प्राप्त करना एक दुःखदायी मुद्दा रहा है। सिटिजनशिप अमेन्डमेंट एक्ट (सी.ए.ए.) इनकी शिकायतों को संबोधित करने के लिए है और मतुआ समुदाय लंबे समय से ऐसे कानून की मांग कर रहा है। सी.ए.ए. की घोषणा का मतुआ समुदाय ने भारी स्वागत किया था। हालांकि, जब ममता बनर्जी सत्ता

- ममता बनर्जी जब तक विपक्ष में थीं, वे मतुआ समुदाय को नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में पुरजोर तरीके से थीं। पर, सत्ता में आने के बाद से वे मतुआ समाज की इस मांग के सख्त खिलाफ हो गयीं थीं। यहाँ तक कि, उन्होंने सार्वजनिक मंच से भाषण भी दिये कि, वे सी.ए.ए. कानून को लागू करने का पूरा विरोध करेंगी, बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में।
- ममता जी की पार्टी ने यहाँ तक भी प्रचार किया कि, जैसे ही इस समुदाय के लोग नागरिकता प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करेंगे, उनका स्टेटस विदेशी का हो जायेगा तथा भारत में मिल रही सभी सुविधाओं से वो वंचित हो जायेंगे।
- पर, तृणमूल कांग्रेस द्वारा फैलाया गया प्रचार, 14 नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद अपने आप मिथ्या साबित हो गया।

में नहीं थीं तब उन्होंने भी इस आड़िधिया करने लगीं। वास्तव में तो उन्होंने बहुत जोर-शोर से दावा किया था कि, देश भर सत्ता में आने पर इस कानून का विरोध (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘मुझे अपने चाचा (नीतीश कुमार) का पूरा समर्थन प्राप्त है’

तेजस्वी यादव ने एन.डी.ए. में अंदर ही अंदर फूट व अविश्वास फैलाने का पूरा प्रयास किया, मधुबनी की आमसभा में उपरोक्त उद्घोष करके

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 मई। बिहार में बचे हुए तीन चरणों के मतदान के पहले, भाजपा गठबंधन सहयोगी, जद यू को बदनाम करने और भ्रम फैलाने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि, उनको “भाजपा को सत्ता से बेदखल करने” के लिए चलायी जा रही महागठबंधन की युद्धिमत्ता के लिए, “चाचा नीतीश कुमार का पूरा समर्थन प्राप्त है।” तेजस्वी ने मधुबनी में हाल में आयोजित एक रैली में कहा, “भाजपा ने भले ही चाचा को हाइजैक कर लिया हो, लेकिन उन्होंने मुझे उन लोगों को सत्ता से बाहर करने का महत्व समझा दिया है, जो वर्ष 2014 में सत्ता में आए थे। उनके मन में अभी भी यह विचार है।” लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार

- जैसा कि विदित ही है, भाजपा के लिए (एन.डी.ए. के लिये) पिछले चुनाव का नतीजा दोहराना काफी महत्व रखता है। पिछले चुनाव में एन.डी.ए. को बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें जीतने में सफलता मिली।
- इस बार चुनाव में “कमजोर कड़ी” है, नीतीश कुमार की पार्टी जद (यू), जो 16 सीटों पर चुनावी समझौते के कारण, चुनाव लड़ रही है, पर बार-बार पार्टी बदलने के रिकॉर्ड के कारण नीतीश खुद तो कमजोर हुए ही हैं तथा एन.डी.ए. के लिए भी कमजोर कड़ी बन गए हैं। इन सीटों को हाथ से निकलने से रोकने के लिये भाजपा पूरी कोशिश कर रही है।
- इसीलिये तेजस्वी कुमार, एन.डी.ए. की इस कमजोर कड़ी पर वार कर रहे हैं।

करने को भाजपा की महत्वकांक्षाओं के लिए बिहार एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि, माना जा रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक

एलायंस (एन.डी.ए.) द्वारा वर्ष 2019 का प्रदर्शन दोहराने की संभावना नहीं है, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गंगोत्री, 15 मई। चारधाम यात्रा मार्ग में बुधवार को 45 किलोमीटर लम्बा जाम लगा गया, प्रशासन ने बताया कि, यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के ही बड़ी संख्या में यात्री पहुंच गए। बुधवार से प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। व्यवस्था सुधारने के लिए सचिव स्तर के अधिकारी पहुंचे हैं। अब तक 2 लाख 76 हजार 416

- बिना रजिस्ट्रेशन के ही भारी संख्या में यात्री उत्तरकाशी-गंगोत्री के दर्शन करने पहुंच गये, जिससे यहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। व्यवस्था बनाने के लिए चारधाम यात्रा को दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है।

श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। उत्तरकाशी- गंगोत्री मार्ग पर पर सोमवार को गंगमानी के पास 45 किलोमीटर लंबा जाम लगा था जिसे रात तक खुलवा दिया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीरियल “रेपिस्ट” प्रज्वल रैवन्ना के वापस आने की संभावना से काफ़ी चौकसी रही बैंगलुरु हवाई अड्डे पर

भाजपा ने मौके का फायदा उठाते हुए मांग उठायी कि, प्रज्वल बलात्कार से जुड़े इस पूरे प्रकरण की जांच सी.बी.आई. से करायी जाये, क्योंकि राज्य की पुलिस पर स्थानीय दबाव बहुत है

-लक्ष्मण वैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 मई। बुधवार को पूरा दिन प्रज्वल रैवन्ना की वापसी की खबरों के बीच राज्य भर में उत्तेजना व रोमान्च का माहौल बना रहा। प्रज्वल, कथित सीरियल रेपिस्ट है, जिसने महिलाओं का यौन शोषण करते समय अपने कृत्य की वीडियोग्राफी की थी और जिसके 3000 से ज्यादा वीडियो टेप पूरे कर्नाटक में वायरल हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बैंगलोर एयरपोर्ट को घेर लिया क्योंकि स्थानीय टी.वी. चैनलों पर सुबह से प्रज्वल का बुधवार को स्टुडियो से बैंगलोर का टिकट वायरल हो रहा था। राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने हालांकि इस बात से इन्कार किया कि उन्हें इस कथित यौन हमलावर की द्रैवल योजना की कोई सूचना है उन्होंने कहा

- राज्य सरकार ने यह मांग स्वीकार नहीं की, क्योंकि सी.बी.आई. तो केन्द्रीय गृह मंत्री शाह के आदेशों की अवहेलना नहीं कर पायेगी तथा इससे मामला रफा-दफा करवाने की संभावना बढ़ जाती है।

कि केस की जांच व निगरानी एस.आई.टी. कर रही है। भाजपा के विभिन्न नेताओं द्वारा लगातार की जा रही इस मांग कि प्रज्वल का केस सी.बी.आई. जांच के योग्य है, पर गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि एस.आई.टी. एक संक्षम निकाय है और वह इस प्रकरण की पेशेवर जांच कर रहा है। वास्तव में, मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया ने भाजपा नेताओं की इस मांग को खारिज कर दिया था कि यह केस सी.बी.आई. के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। संयोग से, कर्नाटक सरकार ने यौन उत्पीड़न के कथित आरोपी को जर्मनी से भारत लाने की केन्द्र सरकार से मांग की थी। बताया जाता है कि प्रज्वल भागकर जर्मनी चला गया था। राजनीतिक विश्लेषकों को केस की सी.बी.आई. जांच कराने की भाजपा की मांग में चालाकी नजर आती है क्योंकि सी.बी.आई. यदि इसकी जांच का काम अपने हाथ में लेती है तो राज्य सरकार के हाथ से यह पूरा केस ही निकल जाएगा। भाजपा इस मुद्दे पर इसीलिए हो-हल्ला मचा रही है क्योंकि यह प्रकरण कर्नाटक व अन्य जगहों पर भाजपा और जद (एस) को पहले ही

नुकसान पहुंचा चुका है। चूंकि, वोटिंग के अभी तीन चरण और लम्बित है, इसलिए भाजपा प्रज्वल केस की जांच पड़ताल और उससे जुड़ी कहानियों पर नियंत्रण करने का दृढ़ प्रतिबन्ध मालूम पड़ती है क्योंकि जद (एस) के नेता और प्रज्वल रैवन्ना के परिजनो ने स्कूलेट होर वीडियोज की प्रमाणिकता पर सवाल उठाए हैं और किसी राजनीतिक षड़यंत्र का संदेह व्यक्त किया है। लेकिन, हासन के सांसद प्रज्वल रैवन्ना के पिता एच.डी. रैवन्ना ने अपने पुत्र की संभावित वपसी को लेकर समूची कर्नाटक सरकार और उसकी पुलिस को पशोपेश में डाला हुआ है। एच.डी. रैवन्ना को अपहरण के एक केस में गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बीकानेर में सात-आठ हजार के अंतर से ही जीत पाएगी भाजपा

जबकि चुनाव शुरू होते समय बीकानेर को भाजपा के सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था

बीकानेर, 15 मई (कांस)। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान के बाद से कांग्रेस व भाजपा अपने-अपने दावे कर रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों का आकलन है कि जिस बीकानेर लोकसभा क्षेत्र को भाजपा सबसे अधिक सुरक्षित मानकर चल रही थी, वहां मतदान के बाद लग रहा है कि अपेक्षित बढ़त शायद ही मिले। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा ने केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को चौथी बार मैदान में उतारा। जबकि कांग्रेस ने एस.सी. समुदाय में पैठ रखने वाले गोविन्दराम मेघवाल को टिकट दिया है। चुनाव प्रचार शुरू होते ही भाजपा ने गोविन्दराम मेघवाल पर हमला बोला और उनकी आपराधिक छवि को मुद्दा बनाया। लेकिन यह नीति ज्यादा कारगर नहीं दिखाई दी। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में आठ विधानसभा सीटें हैं। और मतदान के बाद की स्थिति को देख राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि भाजपा जिस बड़ी बढ़त से जीत को उम्मीद कर रही थी। वह मतदान के बाद कम होती दिख रही है। बीकानेर पूर्व व बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट सहित नौका,

- बीकानेर से भाजपा के टिकट पर केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मैदान में हैं, और कांग्रेस ने भी यहां से एस.सी. समाज के कद्दावर नेता गोविंदराम मेघवाल को टिकट दिया है।
- बीकानेर लोकसभा सीट में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें कांग्रेस को ग्रामीण क्षेत्र तथा किसान आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र अनुपगढ़, खाजूवाला, श्रीदुंगरगढ़ व लुणकरणसर से अच्छी बढ़त मिल सकती है। भाजपा को बीकानेर पूर्व तथा पश्चिम तथा शहरी व कस्बाई क्षेत्र से बढ़त मिलेगी।
- बीकानेर में भाजपा को अपने परम्परागत राजपूत वोट बैंक की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। राजपूत समाज भारी उपेक्षा और गुजरात के भाजपा नेता पुरूषोत्तम रूपाला की क्षत्रिय समाज पर की गई टिप्पणी से बेहद नाराज है। इसलिए राजपूत बहुल क्षेत्रों में मतदान भी कम हुआ।
- चुनाव प्रचार की शुरुआत में भाजपायी खेमे में जो उत्साह था व चुनाव खत्म होते-होते कमजोर पड़ गया। हालांकि भाजपा नेता शानदार बढ़त की बात कर रहे हैं, पर भीतर ही भीतर उन्हें भी स्वतंत्र विश्लेषकों के आकलन पर भरोसा है कि, जीत के अंतर में भारी कमी आएगी।

श्रीदुंगरगढ़, कोलायत, देशनोक आदि कस्बाई क्षेत्रों में भाजपा अच्छी बढ़त ले सकती है। लेकिन किसान

सामान्य तौर पर किसी चुनाव में मतदान के बाद, कौन जीतेगा, कौन हारेगा का आकलन लगाना बंद हो जाता है, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि, उम्मीदवारों का भविष्य तो ई.वी.एम. मशीनों में बंद हो गया, किसी तरह की आकलनबाजी व्यर्थ है, तथा समय की बर्बादी ही है। पर, हमारे संवाददाता का कहना है कि, पर, हमारे संवाददाता का कहना है कि, चुनाव को समझने का, हार-जीत की संभावनाओं, वोटिंग के ट्रेंड के बारे में चर्चा करने का यही समय है। क्योंकि, पार्टियों के कार्यकर्ता भी पोलिंग बूथ में अपनी इच्छा पूरी करके “रिलैक्स्ड” मूड में आ गये होते हैं, तथा अब कुछ गहरायी से, कुछ शांति से, उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर जो देखा व महसूस किया, वो बताते

को तैयार हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति पार्टियों के नेता, उम्मीदवारों के समर्थकों की होती है। मतदान के पूर्व वह शुभ-शुभ के अलावा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके कुछ कहने से, उनके शब्दों व वाक्यों को तोड़-मोड़ कर पेश करके कुछ वोट काटे जा सकते थे। पर, जब मतदान ही हो गया तो वोट को हानि पहुंचाने की यह संभावना भी खत्म हो गयी है। अतः अब ये लोग भी अपना सही आकलन देने में नहीं हिचकिचाते। अतः अब इन लोगों से बात करके हमारे संवाददाता सीट के बारे में अपना आकलन पुनः गहरायी से पेश करना चाह रहे हैं। उसी शृंखला में चौथी कड़ी हम प्रस्तुत कर रहे हैं।

बहुल अनुपगढ़, खाजूवाला, श्रीदुंगरगढ़ व लुणकरणसर सहित बीकानेर देहात क्षेत्र में कांग्रेस को भी अच्छा जनसमर्थन मिलने की संभावना है। चुनाव में कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने अनुपगढ़ में और भाजपा के लिए कोलायत में राजनाथ सिंह ने सभा की थी। इसके अलावा दोनों दलों की ओर से बड़े नेताओं का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। भाजपा ने चुनाव में मूल ओ.बी.सी., राजपूत, ब्राह्मण व वैश्य मतों पर अधिक ध्यान दिया। जबकि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम व जाटों सहित अपने परम्परागत मतों के भरोसे चुनाव अभियान चलाया। मतदान के बाद जो तस्वीर उभरकर आई उससे यह सामने आया कि भाजपा के पक्ष में मूल ओ.बी.सी., ब्राह्मण आदि की वोटिंग ज्यादा हुई, पर इस बार राजपूतों ने कम मतदान किया। राजपूतों के कम मतदान के लिए कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे क्षत्रिय समाज की उपेक्षा, गुजरात के भाजपा नेता की क्षत्रिय समाज पर की गई टिप्पणी आदि। और कोलायत में रक्षा मंत्री राजनाथ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)